न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/112/2016

उनवान

1. हस्तु बेवा उदा गुर्जर निवासी परा तहसील बदनोर जला भीलवाड़ा
अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बदनोर जिला भीलवाड़ा
रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बदनोर
के प्रकरण संख्या 268/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2015

अधिवक्तागण :–
1. श्री मुनीर गनी , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 15.10.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलार्थी के स्व0 पति उदा पिता जीतू ने अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम परा तहसील आसीन्द मे साबिक आराजी नम्बर 1496 रकबा 1 बीघा भूमि किस्म मगरी बीड़ आवंटन दिनांक 30.06.1989 को किया गया। आवंटन पट्टा जारी हुआ। पट्टे अनुसार आराजी नं0 1496 रकबा 18 बीघा मगरी में से माप कर दिया व इंतकाल नम्बर 932 से अमल हुआ तथा गैर खातेदारी व नक्शा ट्रेस में भूमि को अंकित किया गया। पट्टा अनुसार इंतकाल नम्बर 932 खोला गया, और 1730/1496 में 1

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बीघा भूमि आवंटन शुदा को दिनांक 30.06.1989 को इंतकाल निर्णित कर दिया गया। आवंटन से वादी अपने आवंटन रकबे पर काबिज होकर काफी पैसा लगाकर उक्त रकबे को काबिल काश्त किया और मिट्टी भरा कर करीब 50,000/-रू0 खर्च किये गये जिस पर आज भी काबिज है।

2. साबिक आराजी नम्बर 1496मीन रकबा 1बीघा का नया खाता नम्बर 1 में आराजी नम्बर 1921 रकबा 0.45 हैक्टर कायम कर भूमि की किस्म पेटा दर्ज कर बिलानाम नाकाबिल काश्त दर्ज कर दी जो विधि के विपरीत किया। सेटलमेंट विभाग को कब्जे की पुष्टि पूर्व रेकार्ड अनुसार ही करना था लेकिन बिना कोई अदालत आदेश या डिक्री की पालना में वादी के कब्जे व खाते के रेकार्ड को विधि से परे हट कर परिवर्तन कर दिया । जो पुनः खातेदारी व रेकार्ड दुरूस्ती कराने के लिये वादी अधिकृत है। हाल राजस्व कैम्प में अपने खाते को सुधारने हेतु आवेदन किया तब राजस्व कैम्प प्रभारी ने हिदायत दी कि न्यायालय में वाद दायर कर खातेदारी प्राप्त करो और रेकार्ड की इन्द्राज दुरूस्ती कराओ। वादी को बिनाय वाद राजस्व रेकार्ड प्राप्त करने से पैदा होकर दिनांक 07.07.2008 तक जारी है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के सादिर फरमाई जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र अस्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीया के पति उदा पिता जीता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गुर्जर ने वाद अन्तर्गत धारा 88 रा0टि0ए0 व 136, 111, 116 भू रा0अ0 में पेश किया। उदा की मृत्यु दिनांक 23.02.2012 को हो गयी उसके स्थान पर विधिक वारिस हस्तु पति उदा ने दिनांक 16.09.2013 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर उनके स्थान पर विधिक वारिस का निवेदन किया जो जैर कार्यवाही है। प्रतिवादी का जवाब भी नहीं आया। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद बिना कोई सबूत साक्ष्य के रेकार्ड पर लिये ही वाद खारिज कर दिया । उक्त निर्णय व डिक्री की प्रति दिनांक 04.04.2016 को अपीलान्ट को प्राप्त हुई । निर्णय प्रकरण संख्या 268/15 दिनांक 21.05.2015 की पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय में गंगापुर सहायक कलेक्टर साहब जो राजस्व कैम्प लोक अदालत के समय बदनोर उपखण्ड के प्रभारी थे ऐसी स्थिति में पत्रावली प्राप्त होने पर ही यह नकल मिली इसलिए अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई। देरी का कारण माकूल है । अतः नकल प्राप्ति दिनांक से अपील प्रस्तुत करने तक की अवधि के समय को कन्डोन फरमाते हुए अपील को मियाद में शुमार फरमावें। ।

6. बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। बहस में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी से जवाब लिए एवं तनकीयात विरचित किए बिना ही प्रकरण का राजस्व लोक अदालत कैम्प परा में निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत की मंशा उभयपक्षों की उपस्थिति में आपसी राजीनामें से प्रकरण का निस्तारण करना है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रतिवादी/प्रत्यर्थी से जवाब लिए ही आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की जो खारिज योग्य है।

7. बहस में विद्वान अधिवक्ता वादी/अपीलार्थी ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किए बिना ही आलौच्य निर्णय पारित किया जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावे।

8. बहस मे प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। वादी/अपीलार्थी का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है वादी/प्रत्यर्थी संख्या 01 को सूचना पत्र तामील हुए हैं जो पत्रावली में संलग्न है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई के पश्चात दस्तावेजों एवं विधिक नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

9. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण जवाब हेतु नियत था। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त नहीं किया न वाद बिन्दु कायम किए तथा अपीलार्थी की ओर से कायम मुकाम का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी पेण्डिग होते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलाण्ट को सुने ही राजस्व लोक अदालत शिविर परा पर प्रस्तुत कर दिनांक 21.05.2015 को वाद खारिज कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

योग्य है । अपीलार्थी के उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 09.07.2008 को दर्ज होकर प्रतिवादी की तलबी हेतु आगामी तारीख 31.07.2008 नियत की गई। दिनांक 31.07.2008 को प्रतिवादी / प्रत्यर्थी के जवाब हेतु आगामी तारीख 25.09.2008, 27.11.2008, 01.11.2009, 05.02. 2009, 19.03.2009, 23.04.2009, 18.06.2009, 23.07.2009, 24. 09.2009, 12.11.2009, 14.01.2010, 18.02.2010, 08.04.2010 29. 04.2010, 01.07.2010, 19.08.2010, 21.10.2010, 06.01.2011, 14.02.2011, 28.02.2011,28.03.2011, 06.06.2011, 05.09.2011, 26.09.2011, 24.10.2011, 05.12.2011, 26.12.2011, 25.05.2012, 03.09.2012, 01.07.2013, 04.09.2013, 18.03.2015 नियत की जाती रही। दिनांक 18.03.2015 को जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक / न्यायालय / 2015 / 6596 दिनांक 10.03.2015 की अनुपालना में प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बदनोर को स्थानान्तरित करते हुए प्रकरण आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 28.04.2015 नियत की गई। वादी उदा के दिनांक 23.02.2012 को फौत होने से वादी अधिवक्ता के द्वारा वादी के स्थान पर वादी की पत्नि हस्तु विधिक वारिस होने से उसे पक्षकार बनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 151 जा0दी0 के तहत दिनांक 18.09.2013 को प्रस्तुत किया जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है परन्तु उक्त प्रार्थनापत्र का अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत किए जाने का कोई विवरण अंकित नहीं है। स्व0 उदा के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में भी कोई विस्तृत जांच अधिनस्थ न्यायालय स्तर से रिकॉर्ड पर प्राप्त नहीं की गई तथा उक्त प्रार्थनापत्र का निस्तारण होना भी शेष रहते हुए अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण को दिनांक 21.05.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प परा पर प्रस्तुत करा निर्णित कर दिया गया। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की मृत्यु होने से प्रस्तुत पूर्व में ही कायम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मुकाम प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 पर बहस सुनकर दौराने कैम्प ही न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिए जाने का आदेश दिया है। ऐसे में वादी के विधिक वारिसान की रिकॉर्ड पर आने के उपरान्त उन्हें सुना जाकर ही विधिवत आदेश पारित किया जाना था परन्तु विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कायम मुकाम किया जाकर अपीलान्ट हस्तु पत्नि उदा गुर्जर को सुना जाना पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन किए जाने पर यह स्पष्ट होता है कि ग्राम परा तहसील आसीन्द में साबिक आ0नं0 1496 रकबा 1 बीघा भूमि किस्म मगरी बीड़ का आवंटन उदा पिता जीतू गुर्जर को दिनांक 30.06.1989 को किया गया जो रिकॉर्ड से प्रमाणित होता है। वादी उदा एवं अब उनके विधिक वारिस श्रीमती हस्तु पत्नि उदा गुर्जर को स्वयं को सद्भावी काश्तकार साबित कर आवंटन आदेशों की पालना में खातेदारी उद्घोषणा का दावा साबित कराना है। ऐसे में यह आवश्यक था कि वादी एवं उनके विधिक वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाता। अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली अहकाम से स्पष्ट हुआ है कि पत्रावली आदेश 22 नियम 3 व 151 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के निर्णय में लम्बित थी जिसके उपरान्त सिविल प्रक्रिया संहिता की पालना में विधिक प्रक्रिया अपना कर विधिवत तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर दिया जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैम्प परा पर प्रस्तुत कराया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 स्वीकार किया जाकर उसी दिन प्रकरण में वादी के विधिक वारिसान की अनुपस्थिति में बहस सुना जाना पत्रावली से प्रकट होता है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 21.05.2015 में अभिलिखित किया है कि गवाह श्रीमती हस्तु पत्नि उदा गुर्जर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया परन्तु संलग्न शपथ पत्र क्रमांक 84एए 609516 पर शामिल पत्रावली किए जाने का कोई अंकन नहीं है। यह विचित्र स्थिति है कि निर्णय दिनांक 21.05.2015 को सुनाया गया जिस दिन श्रीमती हस्तु पत्नि उदा गुर्जर की उपस्थिति न्यायालय के समक्ष नहीं होना पत्रावली से प्रकट होता है, तथा संलग्न शपथ–पत्र आदेश के एक दिन बाद अर्थात दिनांक 22.05.2015 को लिखा जाना भी प्रकट होता है। ऐसे में न्यायालय निर्णय के उपरान्त प्रस्तुत शपथ पत्र को विधिक रूप से शामिल पत्रावली नहीं किया जा सकता न ही इस शपथ पत्र को पढा जा सकता है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय में इसका अंकन किया जाने से भी अपीलाधीन निर्णय त्रुटीपूर्ण हो जाता है।

11. हमने अपीलाधीन निर्णय का सारभूत अध्ययन किया तथा संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। मेरा विनम्र अभिमत है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट बाबत जारी निर्देशों की पालना नहीं किया जाकर तथा सिविल प्रक्रिया संहिता में तय प्रक्रिया की पालना नहीं किया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ पत्रावली रिमाण्ड किए जाने का अनुतोष चाहा है जो दिया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2015 विधिविरूद्ध होने से अपील स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

12. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.05.2015 को खारिज किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सिविल प्रक्रिया संहिता की पूर्ण पालना कर तहसीलदार से जवाब प्राप्त कर आवंटित भूमि के सम्बन्ध में जांच करा विधिवत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आवश्यक वाद बिन्दु कायम कर साक्ष्य रेकार्ड पर लेकर विधि के परिप्रेक्ष्य में निर्णय पारित किया जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

9 TA / 112 / 2016 हस्तु बनाम सरकार

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 112 / 2016

उनवान

1. हस्तु बेवा उदा गुर्जर निवासी परा तहसील बदनोर जला भीलवाड़ा
अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बदनोर जिला भीलवाड़ा
रेस्पोंडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बदनोर
के प्रकरण संख्या 268 / 2015 निर्णय एवं डिकी दिनांक 21.05.2015
रेस्पोडेण्ट्स

अपील में डिकी

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए / **112 / 2016** मे **उपखण्ड अधिकारी, बदनोर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड्रिकी जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 15.10..2019 को अपीलाण्ट्स की ओर से श्री मुनीर गनी प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 15.10..2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 21.05.2015 को खारिज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 15.10..2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड्रिकी जारी की जाती है।

15/x/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडिण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस